

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एल-53/अलेसे-1/8392-8400 दिनांक:- 20/08/15

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक एफ.3(ख) (1) अलेसे-11/10817-10887 दिनांक 05.01.2015 आदेश संख्या 132/2014-15 द्वारा क्रम संख्या 13 पर अंकित श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा (लिंक नं. 9076) के अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 30.09.2015 से सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश जारी किये गये थे, के क्रम में वित्त विभाग (नियम) शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12 (6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-1 के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एल-53/अलेसे-1/8392-8400 दिनांक:- 20/08/2015
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर।
3. कोषाधिकारी, कोषालय, कोटा।
4. श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-1 कार्यालय - चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, जयपुर
5. उपनिदेशक (ए.सी.पी) कार्यालय हाजा को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में ऐन्ट्री करने हेतु।
6. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
7. निजी पत्रावली/गार्ड फाइल/गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट।


(क.एम.मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)